न्यायालय :– अनन्यतः विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं त्रयोदशम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला– ग्वालियर (म.प्र.)
(समक्ष :– श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्ेय)

Registration No. SC/257/2023
Filing No. 28465/2023
CNR No. MP0701-034798-2023
Filing date- 18-12-2023

(निर्णय की तारीख 12.03.2025)
(प्रकरण संख्या SC/257/2023)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट 425/2023, अपराध अंतर्गत धारा 354, 342, 323, 506 भादसं एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, आरक्षी केंद्र– ग्वालियर, जिला– ग्वालियर)

अभियोजन	म0प्र0 राज्य द्वारा– आरक्षी केंद्र ग्वालियर, जिला– ग्वालियर (म.प्र.)।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अनिल मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्त	चेतन नारोलिया पुत्र स्व. श्री रामकुमार नारौलिया, उम्र–25 वर्ष, निवासी– रानीपुरा चार बाबा मंदिर के पास, हजीरा, जिला–ग्वालियर (म.प्र.)।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मेहमूद खान, अधिवक्ता।

//प्रारूप–ड//

अपराध की तारीख	11.07.2023
प्र.सू.रि. की तारीख	19.07.2023
आरोप पत्र की तारीख	18.12.2023
आरोपों के विरचना की तारीख	08.01.2024
साक्ष्य प्रांरभ किये जाने की तारीख	22.01.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	08.03.2025
निर्णय की तारीख	12.03.2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	–

//अभियुक्त का विवरण//

अभियुक्त	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी	जमानत पर रिहा	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दप्रसं के

की श्रेणी		की तारीख	किये जाने की तारीख		दोषसिद्धि		प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	चेतन नारौलिया	—	—	धारा 354, 342, 323, 506 (भाग—दो) भादसं. एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012	दोषमुक्ति	—	निरंक

//प्रारूप—च//

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची</u>

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	पीडिता	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.2	पीडिता की माता	अन्य साक्षी
अ.सा.3	पीडिता के पिता	अन्य साक्षी
अ.सा.4	शंकरलाल आर्य	अन्य साक्षी
अ.सा.5	उनि0 अंजू दुबे	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो:—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.1	सरोज शिवहरे	अन्य साक्षी

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो:—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी,

		चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी–1/अ.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी–2/अ.सा.1	नक्शा मौका
3.	प्रदर्श पी–3/अ.सा.1	पीडिता का धारा 164 दप्रसं का कथन
4.	प्रदर्श पी–4/अ.सा.2	जन्म प्रमाण पत्र
5.	प्रदर्श पी–5/अ.सा.3	पीडिता के पिता का पुलिस कथन
6.	प्रदर्श पी–6/अ.सा.4	भर्ती रजिस्टर
7.	प्रदर्श पी–7/अ.सा.4	प्रमाणीकरण

ख. प्रतिरक्षा

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श डी–1/अ.सा.2	पीडिता की माता का पुलिस कथन

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
निरंक		

नोटः– धारा 228 ए भा0द0सं0 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत भूपेंद्रसिंह विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य (2003) 8 एस.सी.सी. 551 तथा निपुन सक्सेना विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (2019) 2 एस.सी.सी. 703 के परिप्रेक्ष्य में एवं धारा 33 (7) पॉक्सो एक्ट 2012 के पालन में अभियोगी बालिका होने के कारण विचारण के दौरान बालिका की पहचान प्रकट न हो इसलिए उसके नाम का उल्लेख नहीं किया जा रहा है, अतः उसे ''पीड़िता'' के रूप में संबोधित किया जाएगा तथा पीड़िता के माता–पिता, ग्राम तथा स्कूल व अन्य रिश्तेदारों के नाम का भी उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 12.03.2025 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 11.07.2023 के समय करीब रात्रि 12:30 बजे स्थान ग्वालियर में पीडिता जो कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बुरी नियत से छेडछाड़ कर पीडिता का हाथ पकडकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर उसे कमरे में बंद करके उसका सदोष परिरोध कारित करने तथा पीडिता के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर पीडिता को अभित्रस्त करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित कर पीडिता पर लैंगिक हमला कारित करने के लिए भादसं. की धारा 354, 342, 323, 506 (भाग–दो) एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (जिसे आगे के पदों में **''पॉक्सो एक्ट''** से संबोधित किया जायेगा) के अधीन आरोप विरचित किये गये है।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पीडिता और उसके माता पिता अभियुक्त को जानते है तथा पीडिता और उसका परिवार किराये से अभियुक्त के मकान में नीचली मंजिल पर रहते थे तथा अभियुक्त और उसका परिवार उपरी मंजिल में रहते थे।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता ने उसके माता पिता के साथ थाना उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह शंकुतला नारोलिया के मकान रानीपुरा में किराये से कमरा लेकर रहते है, उसकी मम्मी नानी के घर पन्ना गई हुई थी। दिनांक 01.07.2023 को समय करीबन रात्रि 12 बजे कमरे का दरवाजा खोलकर सो रही थी तभी वह टॉयलेट के लिए उठी और टॉयलेट करके वापस कमरे की तरफ आ रही थी तभी अभियुक्त ने उससे बोला कि इधर आयो तो उसने बोला कि क्या है तो अभियुक्त ने उसका जोर से हाथ पकड लिया और उसका मुंह दबाकर कमरे के अन्दर ले गया और उन्होंने कमरे का गेट अन्दर से बंद कर लिया और उसे दो थप्पड मारे और उसके साथ छेडछाड करने लगा तभी बिल्ली आ गई और उसने बर्तन गिरा दिये तो बर्तन की आवाज सुनकर उसके पापा जाग गये और उसे देखा तो वह बिस्तर पर नहीं मिली तो उसे ढूढंते हुये अभियुक्त के कमरे के बाहर आ गया और पीडिता के नाम की आवाज लगाकर आये तो अभियुक्त कमरे के बाहर निकला और उससे कहा कि भईया क्या बात हो गई तो पीडिता कमरे के बाहर रोते हुये निकली थी। तब उसके पापा ने पीडिता और अभियुक्त दोनों को डांटा था, उसके बाद वह उसके पापा के साथ कमरे में सोने चली गई और अभियुक्त अपने कमरे में चला गया था। उस समय उसने उसके पापा को डर के मारे कुछ नहीं बताया था, जब उसकी मम्मी नानी के घर से वापस ग्वालियर आयी तब उसने उसकी मम्मी को सारी बात बतायी थी तब उसकी माता ने अभियुक्त को बोला कि अगर तुमने उसकी थाने में रिपोर्ट की तो तुझे वे तेरी लडकी को जान से खत्म कर देगें। जिसकी थाने पर शिकायत की थी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना ग्वालियर पर अपराध क्रमांक 425/2023 अंतर्गत धारा 354, 342, 323, 506

भादसं. एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट का दर्ज किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

04. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 342, 323, 506 (भाग–दो) एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन आरोप पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा विरचित किये जाने पर अभियुक्त ने आरोपित अपराध की सत्यता से इंकार कर विचारण की वांछा की थी। अभियुक्त ने दर्शित किया कि पीडिता को किराये के रूपये ना देना पडे इसलिए असत्य कथन करते है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा वह निर्दोष है, अभियुक्त ने बचाव में सरोज शिवहरे ब.सा.1 की साक्ष्य प्रस्तुत की है।

05. **प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :–**

1. क्या घटना दिनांक 11.07.2023 को पीडिता की आयु 16/18 वर्ष से कम होकर वह बालिका थी ?

2. क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.07.2023 को उसके निवास स्थान में पीडिता के साथ बुरी नियत से छेड़छाड कर पीडिता का हाथ पकडकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

3. क्या अभियुक्त ने पीडिता को कमरे में बंद करके उसका सदोष परिरोध कारित किया ?

4. क्या अभियुक्त ने उक्त समयावधि पीडिता के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं अभित्रस्त करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

5. क्या अभियुक्त ने पीडिता के साथ बुरी नियत से छेडछाड कर हाथ पकडकर लैंगिक हमला कारित किया ?

6. निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

–: सकारण एवं निष्कर्ष :–

विचारणीय प्रश्न क्र. 01 :–

06. न्यायदृष्टांत **शांतिदेवी विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य 1997 क्रि.लॉ.रि. (म.प्र.) 101** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी अपराध को स्थापित करने के लिये उसके सभी अवयवों को अभियोजन द्वारा संदेह से परे प्रमाणित किया जाना चाहिये। पीड़िता की आयु 16/18 वर्ष से कम थी, एक महत्वपूर्ण अवयव है, जिसे प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

07. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के प्रावधान अनुसार** किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या (अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख) अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की,

जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या (अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख) रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है।

08. स्पष्ट रूप से उक्त् विधिक स्थिति के आलोक में इस प्रकरण में न्यायालय को आयु निर्धारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान के अनुसार ही करना है।

09. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पीड़िता (अ.सा.1) का कथन है कि उसकी उम्र–14 वर्ष है तथा उसका जन्म दिनांक 05.01.2010 है तथा वह महाराणा प्रताप हायर सेकेण्डरी स्कूल में पढती थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये साक्षी ने स्वीकार किया कि वह कक्षा 9 में पढ रही है उसके परिवार में उसके माता पिता दो छोटी बहनें तथा एक छोटा भाई है। पीडिता की माता (अ.सा.2) का कथन है कि पीडिता की उम्र 14 वर्ष है तथा उसका जन्म दिनांक 05 जनवरी 2010 है। उसका मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–4 है जो प्रकरण में संलग्न है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी शादी वर्ष 2019 में हुयी थी। पीडिता के पिता (अ.सा.3) ने पीडिता की जन्म दिनांक 05.01.2010 होना बताया है तथा घटना के समय पीडिता की उम्र 13 वर्ष होना बताई है एवं पीडिता का स्कूल में कक्षा 9वीं में पढना बताया है।

10. पीडिता के विद्यालय प्रधानाध्यापक शंकरलाल आर्य (अ.सा.4) का कथन है कि वह पीडिता के विद्यालय में लगभग 20 वर्ष से विद्यालय में कार्यरत है, उक्त विद्यालय का मूल भर्ती रजिस्टर साथ लेकर आया है, जो शैक्षणिक वर्ष 2004–05 से प्रारंभ होकर वर्ष 2019–20 तक का है, जिसके भर्ती क्रमांक 659 भर्ती दिनांक 10.07. 2018 पर पीडिता को कक्षा 3 में उनके विद्यालय में भर्ती कराया गया था, जिसमें पीडिता की जन्म दिनांक 05.01.2010 लेख है। भर्ती रजिस्टर प्रदर्श पी–6 एवं प्रमाणीकरण प्रदर्श पी–7 पर उसके हस्ताक्षर है तथा जिसमें भी पीडिता की जन्म दिनांक 05.01.2010 लेख है।

11. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त भर्ती रजिस्टर उसकी हस्तलिपि में नहीं है तथा भर्ती के समय उनके विद्यालय में कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि पूर्व विद्यालय से आई थी फिर कहा कि पूर्व विद्यालय का शाला त्याग प्रमाण पत्र एवं अंकसूची के आधार पर प्रवेश दिया गया था। साक्षी का कथन है कि प्रदर्श पी–6 की रजिस्टर की हस्तलिपि उनके विद्यालय के डायरेक्टर प्रभा चौहान की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व विद्यालय की अंकसूची एवं शाला त्याग प्रमाण पत्र उनके विद्यालय में जमा किया था वह अपने साथ लेकर नहीं आया है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने प्रदर्श पी–6 व पी–7 में पीडिता की जन्मतिथि अपने मन से लेखबद्ध की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

12. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पीडिता के माता पिता ने पीडिता की जन्म दिनांक का कोई स्त्रोत नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में पीडिता की

भर्ती रजिस्टर प्रदर्श पी–6 में दर्ज जन्मतिथि वास्तविक जन्मतिथि है यह प्रमाणित नहीं होता है।

13. यह सही है कि पीडिता के माता पिता ने पीडिता की जन्म दिनांक के संबंध में कोई स्त्रोत की जानकारी नहीं होना दर्शित किया है लेकिन पीडिता की माता ने पीडिता का मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–4 न्यायालय में पेश किया है जिसकी सत्यपित प्रतिलिपि अभिलेख संलग्न की गई है। उक्त जन्म प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किया गया था तथा पीडिता के जन्म प्रमाण पत्र की पंजीयन की दिनांक जन्म दिनांक के एक दिन पश्चात् दिनांक को किया गया है तथा उक्त जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–4 दिनांक 06.01.2010 जारी किया गया है जिसके आधार पर पीडिता की जन्मतिथि उसके विद्यालय में दर्ज कराई गई है। प्रदर्श पी–6 में भी पीडिता की जन्म दिनांक यही लिखी है। पीडिता और उसके माता पिता ने पीडिता की जन्म दिनांक स्पष्ट रूप से बताई है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है।

14. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रजिस्टर में पीडिता की जन्म दिनांक घटना के काफी समय पूर्व दर्ज कराई गई थी तथा उक्त रजिस्टर में की गई जन्म दिनांक की प्रविष्टि नियमित रूप से अभिनिर्धारित करने वाली विधि के अधीन निर्धारित प्रक्रिया में की जाती है। इस संबंध में **मदनमोहन विरूद्ध रजनीकांत 2010 एआईआर एस 2933** अवलोकन योग्य है। अतः घटना दिनांक से काफी पूर्व की गई प्रविष्टि "Ante-Litem Motam" की श्रेणी में आती है।

15. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य और दस्तावेज से यह प्रमाणित होता है कि पीड़िता की उम्र घटना दिनांक 11/07/2023 को पीडिता की आयु 16 वर्ष से कम थी तथा धारा 2 (1)(डी) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत पीड़िता ''बालक'' की श्रेणी में आती थी।

<u>विचारणीय प्रश्न क. 02 लगायत 06</u> :–

16. साक्ष्य दोहराव रोकने एवं विवेचना की सुविधा की दृष्टि से उक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

17. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध पीडिता (अ.सा.1) का कथन है कि उसकी मम्मी नानी के घर पन्ना गई थी, वह और उसके पिताजी घर पर थे। दिनांक 11.07.2023 की रात के 12:00 बजे वह टॉयलेट करने के लिए उठी तथा वह वापस अपने कमरे पर आ रही थी तभी अभियुक्त चेतन भैया ने उसे बुलाया कि तुम इधर आओ तो वह चली गई तो उसने बोला कि क्या है भैया तो अभियुक्त ने उसका जोर से हाथ पकड लिया और कमरे के अंदर मुंह दबाकर ले गये और अंदर से उन्होंने गेट लगा लिया और उसमें दो थप्पडे मारे और उसके साथ छेडछाड करने लगे और बिल्ली आई तो उसने उनके घर में बर्तन गिरा दिये थे जिसकी आवाज सुनकर उसके पापा जाग गये पापा ने उसे बिस्तर पर देखा तो वह बिस्तर पर नहीं थी तो उसे ढूंढते–ढूंढते अभियुक्त चेतन के कमरे के बाहर आये और उसका नाम कहकर आवाज लगाई तभी अभियुक्त चेतन कमरे से बाहर निकला और उसके पापा से बोला कि भैया

क्या बात हो गई तभी वह कमरे से बाहर रोते–रोते निकली फिर उसके बाद उसके पापा ने उसे और अभियुक्त चेतन को डांटा फिर वह उसके पापा के साथ सोने चली गई थी। उस समय वह इतना डर गई थी तो उसने पापा को कुछ नहीं बताया था। जब उसकी मम्मी नानी के घर से वापस आई तो उसने उसकी मम्मी को सारी बात बताई। उसकी मम्मी ने अभियुक्त चेतन से बोला कि तुमने उसकी लडकी के साथ ऐसी हरकत क्यों की तो अभियुक्त चेतन ने उसकी मम्मी से बोला कि तुमने और तुम्हारी लडकी ने उसकी थाने में रिपोर्ट करवाई तो वह तुम्हें और तुम्हारी लडकी को जान से मार देगा। वह थाने में उसकी मम्मी के साथ रिपोर्ट करने गई थी जो प्रदर्श पी–1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्रदर्श पी–2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका न्यायालय में प्रदर्श पी–3 का कथन हुआ था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके कथनों की पुलिस ने उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी।

18. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में पीडिता ने स्वीकार किया कि उसके पिताजी मजदूरी का कार्य करते हैं। उसकी माता कोई काम नहीं करती हैं वह घर पर ही रहती हैं। वह स्कूल सुबह 07:30 बजे जाती और 12:30 बजे वापस आ जाती हैं। उसे याद नहीं है कि उसकी मम्मी पन्ना नानी के यहां किस तारीख को गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त के मकान में पांच–छ अन्य परिवार भी किराये से निवास करते हैं। वह जिस समय घटना होना बता रही है, उस समय में भी चेतन के मकान में पांच–छ परिवार किराये से निवास कर रहे थे। साक्षी ने यह भी स्वीका किया कि वह तथा अन्य किरायेदार अभियुक्त चेतन के मकान में नीचे तल में रहते है तथा चेतन व उसका परिवार मकान के उपरी मंजिल पर निवास करते है तथा वह सभी किरायेदारों के लिये लेट–बाथ बने हुये हैं तथा किरायेदार नीचे तल पर स्थित टॉयलेट का उपयोग करते हैं तथा वह लोग भी नीचली मंजिल पर स्थित टॉयलेट का उपयोग करते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त उपरी मंजिल पर रहते है वहां उनके लिये टॉयलेट पृथक से बने हुये है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह दिनांक 11.07.2023 को अपने साथ जो घटना बता रही है, उसके संबंध में उसने दिनांक 11.07.2023 से लेकर 19.07.2023 तक स्कूल में शिक्षकों को तथा मकान में अन्य किरायेदारों एवं पिता को घटना के संबंध में कुछ नहीं बताया था।

19. पीडिता ने इस बात से इंकार किया कि उसके साथ कोई घटना नहीं हई थी इसलिए वह अपने स्कूल व कोचिंग के शिक्षकों को एवं मकान में रह रहे किरायेदारों को कुछ नहीं बताया था अथवा उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी इसलिये वह अपने स्कूल व कोचिंग के शिक्षकों को एवं मकान में रह रहे किरायेदारों को कुछ नहीं बताया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्त की शादी होने वाली थी और उसके माता–पिता से उक्त मकान खाली करने के लिये कह रहे थे क्योंकि उन्हें शादी में खाली कमरों की आवश्यकता थी अथवा उसके माता–पिता का आरोपी से किराये के पैसों को लेकर कई बार विवाद होता था। साक्षी का कथन है कि शिकायत करने के लिए थाने में वह उसके माता पिता के साथ गई थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि शिकायत उसके माता पिता ने लिखाई थी अथवा उसने थाने

में पुलिस वालों के कहे अनुसार शिकायत लिखाई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2 का नक्शामौका उसके सामने नहीं बनाया था लेकिन इस बाता से इंकार किया कि प्रदर्श पी–3 का कथन पुलिसवालों के कहने से न्यायालय में दिया था।

20. पीडिता ने इस बात से इंकार किया कि उसके माता–पिता उक्त मकान को खाली करना नहीं चाहते थे इसलिये उसने माता–पिता के कहने से मिथ्या रूप से ये रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई है अथवा आरोपी व उसके परिवारवाले उसके माता–पिता से किराये के पैसे मांगने पर विवाद करते थे इसलिये भी उसने उसके माता–पिता के साथ मिलकर यह मिथ्या रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसे कोई थप्पड नहीं मारे थे अथवा उसके साथ कोई छेडछाड नहीं की अथवा वह आज न्यायालय में मिथ्या रूप से अभियुक्त के विरूद्ध कथन कर रही है।

21. पीडिता की माता (अ.सा.2) का कथन है कि वह उसके मायके पन्ना गमी में दिनांक 10 जुलाई 2023 को गयी थी तथा बाद में जब वह दिनांक 19 जुलाई 2023 को लौटकर आयी तो पीडिता ने उसे बताया था कि दिनांक 11.07.2023 को पीडिता कमरे में सो रही थी और उसी कमरे में उसके पिताजी सो रहे थे। वह रात में बाथरूम करने आयी तो अभियुक्त ने उससे बोला कि इधर आ। पीडिता ने कहा कि भैया क्या बात है तब अभियुक्त ने उसका मुंह दबाकर उसे कमरे के अंदर ले गया और कमरे का गेट अंदर से बंद कर दिया और उसके साथ छेडछाड करने लगा और पीडिता को चांटे मारे। उसी समय बिल्ली आ गयी और उसने बर्तन गिरा दिये जिससे उसके पापा जाग गये और पापा ने उसे लेट्रिन बाथरूम में देखा लेकिन वह नहीं मिली फिर उसके पापा चिल्लाने लगे तो चेतन बाहर निकलकर आया तो पीडिता के पापा ने बोला कि पीडिता नहीं मिल रही है तो उसके पापा ने पीडिता को एक चांटा मारा और पीडिता अपने पिता के साथ सोने चली गयी और डर के कारण पिता को कुछ नहीं बताया। जब वह वापस लोटकर आई तो पीडिता ने उसे सारी बात बताई थी। फिर उसने अभियुक्त से पूछा कि तुमने उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों कि तो अभियुक्त ने कहा कि यदि तुम रिपोर्ट करने जाओगी तो तुम्हें व तेरी बेटी को जान से खत्म कर देगा। फिर वह उसकी बेटी के साथ रिपोर्ट करने गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

22. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह अभियुक्त चेतन के मकान में 4–5 साल से रह रहे हैं तथा अभियुक्त के मकान की पहली मंजिल में उनके अलावा भी अन्य पांच किरायेदार अपने परिवार सहित भी रहते है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया अभियुक्त भी उसी मकान की उपर मंजिल पर अपने परिवार सहित निवास करता है। अभियुक्त के परिवार में उसकी माता, दादी, भाई भी निवास करते है तथा उपरी मंजिल पर अभियुक्त भी निवास करता है। लेकिन साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उनके द्वारा अभियुक्त चेतन को कई महीनों उनसे किराये के पैसों की मांग कर रहा था, इस कारण अभियुक्त के विरूद्ध असत्य रिपोर्ट दर्ज कराई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह पीडिता के साथ जो घटना घ

ाटित होना बता रही है उसके संबंध में पीडिता द्वारा उसके घर आने से पूर्व उसके पति एवं अन्य किरायेदारों को कुछ नहीं बताया था तथा घटना के संबंध में पीडिता ने उसे 19 तारीख को सुबह 08:30 बजे के करीब बताया था।

23. पीडिता की माता का कथन है कि उसने पुलिस कथन प्रदर्श डी–1 में यह भी बता दिया था कि अभियुक्त चेतन बोला क्या है भैया फिर उसी कमरे से पीडिता निकलकर आयी तो उसके पापा ने पीडिता के एक चांटा मारा और पीडिता उसके पिता के साथ सोने चली गई थी और उसी कारण पिता को कुछ नहीं बताया यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी–1 मे ंना लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकती है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2 का नक्शा मौका पुलिस ने थाने पर ही बनाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पीडिता द्वारा घ ाटना के संबंध में उसके घर आने से पूर्व अन्य किरायेदारों को किसी शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं कोचिंग के शिक्षक को भी कुछ नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त के मकान में जो व्यक्ति प्रथम मंजिल पर रहते है, उनके लिय लैटबाथ प्रथम मंजिल पर बने हुये है तथा अभियुक्त के परिवार के दूसरे मंजिल पर पृथक से लैटबाथ बने हुये है तथा अभियुक्त एवं उसके परिवार के सदस्य कभी भी किरायेदारों के लैटबाथ का इस्तेमाल नहीं करते है तथा प्रथम मंजिल पर जो किराये से रहते है उनके बाहर जाने का रास्ता उसी मंजिल से है तथा रात के समय कोई किरायेदार छत पर नहीं जाता है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रही है।

24. पीडिता के पिता (अ.सा.3) ने भी पीडिता के कथनों का समर्थन करते हुये रात के बारह साढे बारह बजे घर में बिल्ली ने बर्तन गिराने पर उसकी नींद खुलने और गई उसने देखा कि पीडिता बिस्तर पर नहीं है, थोडी देर में पीडिता चेतन के कमरे से रोते हुये निकल कर आई तो उसने पीडिता को डांटा और पीडिता को कमरे में लेकर चला गया उसने अभियुक्त को डांटा बाद मे ंसात आठ दिन बाद उसकी पत्नी मायके से लोटकर आई तो पीडिता ने घटना के बारे में उसकी माता को बताया था उसे कुछ नहीं बताया था। पत्नी के आने के बाद वह उसकी पत्नी और बच्चे पुलिस थाने गये तथा उन्होंने थाने में अभियुक्त चेतन के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई थी तथा रिपोर्ट लिखाने के बाद अभियुक्त चेतन ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

25. अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसकी बेटी ने उसकी पत्नी के आने पर उसके सामने उसकी पत्नी को यह बताया था कि रात को वह टॉयलेट के लिये उठी और वापस कमरे की ओर जा रही थी तो तभी चेतन भैया ने उससे बोला कि इधर आओ तो उसने बोला कि क्या है तो भैया ने जोर से हाथ पकड लिया और उसका मुंह दबाकर अपने कमरे के अंदर ले गये और उन्होंने कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया और उसे दो थप्पड मारे और उसके साथ छेडछाड करने लगे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने पुलिस कथन प्रदर्श पी–5 में ए से ए भाग वाली बात लिखाई नहीं थी पुलिस ने कैसे लिख ली कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि पीडिता ने घटना के बारे में उसके सामने उसकी पत्नी को बताया था वह भूल गया है अथवा

भूल जाने के कारण आज न्यायालय में नहीं बता पा रहा है तथा वह आरोपी को बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

26. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी पीडिता को छोडकर सभी बच्चों सहित उसके मायके घटना दिनांक के दो दिन पहले गई थी। उसे ध्यान नहीं है कि उसने उसकी पत्नी से किस तारीख को बात की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह आरोपी के जिस मकान में रहता है, उसके अलावा पांच–छः किरायेदार परिवार सहित रहते हैं अथवा जिस समय की वह घटना बता रही है उस समय अभियुक्त चेतन की शादी होने वाली थी इसलिये अभियुक्त सभी किरायेदारों और आपसे मकान खाली करने के लिये कहा था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्त उससे बार–बार किराया मांग रहा था और मकान खाली करने के लिये कह रहा था।

27. पीडिता के पिता ने यह भी स्वीकार किया कि निचली मंजिल में जहां वह सब किरायेदार किराये से रहते हैं उसी मंजिल पर उनके लैट्रिंग–बाथरूम बने हुये हैं तथा सभी किरायेदार निचली मंजिल पर बने लैट्रिंग–बाथरूम का ही उपयोग करते हैं। अभियुक्त जिस मंजिल पर रहता है उस मंजिल पर बने लैट–बाथ का उपयोग वह और उसके परिवार के लोग करते हैं। साक्षी का कथन है कि पुलिस उसके घर रिपोर्ट लिखाने के दो दिन बाद आई थी। उसे ध्यान नहीं है कि पुलिसवालों ने उसका कथन किस तारीख को लिया था। उसने पुलिस कथन प्रदर्श पी–4 देते समय यह बता दिया था कि चेतन बाहर निकला उसने पूछा क्या है भैया तो उसने कहा कि पीडिता बिस्तर पर नहीं हैं, आरोपी चेतन को भी डांटा बाद में सात–आठ दिन बाद उसकी पत्नी मायके से लौटकर आई। रिपोर्ट लिखाने के बाद चेतन ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। यदि उक्त बात प्रदर्श पी–4 में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने मकान खाली न करना पडे और किराया न देना पडे इस कारण अभियुक्त के विरूद्ध उसकी पत्नी व पुत्री के साथ मिलकर यह प्रकरण मिथ्या रूप से पंजीबद्ध कराया है तथा वह असत्य कथन कर रहा है।

28. उपनिरीक्षक अंजू दुबे (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 19.07.2023 को पीडिता उम्र–14 वर्ष ने उसकी माता के साथ थाना आकर आरोपी चेतन के विरूद्ध दिनांक 17.07.2023 की रात्रि 12:00 बजे उसका मुंह दबाकर कमरे के अंदर ले जाकर छेडछाड करने और दो थप्पड मारने के संबंध में मौखिक रिपोर्ट की थी। जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 425/2023 धारा 354, 342, 323, 506 भाग–दो भा.दं.वि. एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी जो प्रदर्श पी–1 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने नक्शामौका प्रदर्श पी–2 का बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पीडिता का, पीडिता के पिता का प्रदर्श पी–5 तथा उसकी माता का प्रदर्श डी–1 का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था।

29. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल जाने पर उसकी प्रविष्टि थाने के रोजनामचे में की जाती है और

वापस आने पर भी की जाती है तथा उक्त रोजनामचे की प्रतिलिपि उसने प्रकरण में पेश नहीं की है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि वह घटनास्थल पर कभी नहीं गई थी और न ही रोजनामचा सान्हा में घटनास्थल पर जाने का इंद्राज किया था इसलिये उसकी प्रति वर्तमान प्रकरण में पेश नहीं की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे पीडिता की माता ने कथन देते समय यह नहीं बताया था कि पीडिता के पापा ने उसे लेट्रिन बाथरूम में देखा तो पीडिता नहीं मिली फिर उसके पापा चिल्लाने लगे तो चेतन बाहर निकल कर आया तथा आरोपी चेतन बोला कि क्या है भैया फिर उसी कमरे से पीडिता निकलकर आई तो उसके पापा ने पीडिता को चांटा मारा और पीडिता अपने पिता के साथ सोने चली गई और डर के कारण कुछ नहीं बताया। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रही है।

30. अभियुक्त ने बचाव साक्षी के रूप में सरोज शिवहरे (ब.सा.1) का परीक्षण कराया है। वह अभियुक्त चेतन नारोलिया को जानती है तथा अभियुक्त की माता के मकान में कई वर्षों से परिवार सहित किराये पर रहती है तथा पीडिता और उसके माता–पिता भी अभियुक्त की माता के मकान में पिछले दो–तीन वर्षों से किराये से रह रहे हैं। पीडिता के पिताजी शराब पीते थे और किराया समय पर अदा नहीं करते थे तथा किराये की मांग को लेकर पीडिता के पिता और अभियुक्त की माता के बीच कई बार विवाद होता था। अभियुक्त की माता द्वारा किराये की मांग करने पर पीडिता के पिता यह कहते थे कि वे कहीं जा नहीं रहे हैं और किराया बाद में अदा कर देंगे। लगभग 6 माह पहले उसने अभियुक्त का किराये से लिया हुआ मकान खाली कर दिया है और पास में ही दूसरा मकान किराये पर ले लिया है। उसे अभियुक्त और उसकी माता ने बताया कि पीडिता के पिता ने पीडिता से अभियुक्त के विरूद्ध छेडखानी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके पूर्व उसे इस प्रकार की कोई घटना की जानकारी नहीं थी। यदि वास्तव में अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ छेडखानी की जाती तो उसे और मोहल्ले के पडौस के लोगों को इसकी जानकारी अवश्य होती। पीडिता के पिता और अभियुक्त की माता के मध्य सारा विवाद किराये को लेकर ही था। अभियुक्त की माता ने अभियुक्त की शादी तय होने के बाद उसे और पीडिता के पिता से मकान खाली करने के लिये कहा था और पीडिता के पिता से बकाया किराये की भी मांग की थी। इसी को लेकर पीडिता के पिता और अभियुक्त के परिवार में विवाद हुआ था और इसी कारण रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

31. अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि वह नहीं बता सकती कि वह आरोपी के मकान में किस वर्ष से किस वर्ष तक रही थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि चार–पांच साल बाद आरोपी के मकान में किराये से रही थी। जब वह अभियुक्त के मकान में किराये से रहती थी उस समय करीब 6 लोग परिवार सहित किराये पर रहते थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी का मकान दो मंजिल बना हुआ है तथा आरोपी और उसका परिवार प्रथम तल पर निवास करते थे और सारे किरायेदार तल मंजिल पर रहते थे। आरोपी के मकान का बाथरूम तल मंजिल पर मुख्यदरवाजे की गैलरी से सटा हुआ है और सभी किरायेदार इसी बाथरूम का उपयोग करते थे। अभियुक्त के मकान में जहां किरायेदार रहते थे उसमें

आमने–सामने तीन–तीन कमरे थे। उसका और पीडिता का कमरा आमने–सामने था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी के परिवार एवं पीडिता के परिवार के मध्य किराये को लेकर कोई विवाद नहीं था अथवा अभियुक्त की माता द्वारा किराये की मांग करने पर पीडिता के पिता यह नहीं कहते थे कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं और बाद में अदा करेंगे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि वह पीडिता के पिता और अभियुक्त की माता के मध्य किराये को लेकर जो विवाद होना बता रही है, वह असत्य और आरोपी को बचाने के लिये बता रही है। उसका संबंध आरोपी के परिवार से मधुर और व्यक्तिगत था इसलिये वह न्यायालय के समक्ष असत्य कथन कर रही है।

32. विद्वान विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि पीडिता एवं उसके माता पिता ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है, जिससे अभियोजन का मामला पूर्णतः प्रमाणित होता है तथा यह भी तर्क है कि बचाव साक्षी के अभियुक्त एवं उसके परिवार से अच्छे संबंध थे इसलिए उसे बचाने के लिए असत्य कथन कर रही है।

33. प्रस्तुत मामले में पीडिता ने घटना दिनांक 11.07.2023 को रात्रि 11:20 बजे अभियुक्त के द्वारा बुरी नियत से हाथ पकडकर कमरे के अंदर मुंह दबाकर ले जाने और दो थप्पड मारने और उसके साथ छेडछाड करने एवं बिल्ली के आने पर उनके घर में बर्तन गिराने की आवाज सुनकर उसके पापा जाग गये तथा उसे ढूढते ढूढते अभियुक्त के कमरे के बाहर आने के संबंध में कथन किये हैं। पीडिता का यह भी कथन है कि वह कमरे से बाहर निकली तो रोते रोते निकली फिर उसके बाद उसके पिता ने उसे और अभियुक्त को डांटा फिर वह उसके पापा के साथ सोने चली गई थी तथा उस समय वह डर गई थी तो उसने पापा को कुछ नहीं बताया था। फिर उसकी मम्मी के आने के बाद उसने सारी घटना बताई थी। नीचे स्थित टॉयलेट का उपयोग सभी किरायेदार करते है। पीडिता ने यह भी स्वीकार किया कि जिस समय घटना होना बताई है उस समय अभियुक्त की शादी होने वाली थी और पीडिता के पिता ने स्वीकार किया कि अभियुक्त ने सभी किरायेदारों से शादी होने के कारण मकान खाली करने के लिए कहा था। पीडिता के माता पिता ने अभियुक्त की माता से किराये का विवाद होने से इंकार किया है लेकिन बचाव साक्षी सरोज शिवहरे ब. सा.1 ने अभियुक्त की माता और पीडिता के पिता मध्य किराये की मांग को लेकर विवाद होने के संबंध में स्पष्ट कथन किये है।

34. प्रस्तुत मामले में पीडिता के पिता (अ.सा.3) ने पीडिता की माता के वापस आने पर पीडिता द्वारा उसकी उपस्थिति में उसकी माता द्वारा घटना बताने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। यहां तक कि पीडिता के पिता ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया कि पीडिता ने घटना के बारे में उसके सामने उसकी पत्नी को बताया था और वह भूल गया है तथा उक्त बाद भूल जाने के कारण वह न्यायालय में नहीं बता पा रहा है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी विलंब से दर्ज कराई है तथा विलंब का कोई स्पष्ट कारण दर्शित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है क्योंकि पीडिता एवं उसके माता पिता ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पीडिता उपरी मंजिल पर अभियुक्त के कमरे में क्यों गई थी। बचाव साक्षी सरोज शिवहरे ब.सा.1 की साक्ष्य और अभियुक्त

का यह बचाव सम्भावित प्रतीत होता है कि किराये का विवाद होने के कारण पीडिता के पिता ने मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है और अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी प्रतीत होता है।

35. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **छोटू उर्फ टिंकू उर्फ किरपाल विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य आई.एल.आर. (एम.पी.) 2022 (डीबी)** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि एक प्रकरण में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव है, एक अभियुक्त की दोषिता दार्शाता है तथा दूसरा उसकी निर्दोषिता को दर्शाता है तो जो दृष्टिकोण अभियुक्त के पक्ष में है उसे अपनाया जाना चाहिये।

36. अतः यह न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध भादसं. की धारा 354, 342, 323, 506 (भाग—दो) एवं धारा 7/8 का अपराध प्रमाणित नहीं होने से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

37. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः न्यायालय अभियुक्त चेतन नारोलिया पुत्र रामकुमार नारोलिया को भादसं. की धारा 354, 342, 323, 506 (भाग—दो) एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप से दोषमुक्त करता है।

38. अभियुक्त पूर्व से प्रतिभूति पर है, उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं तथा उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत दप्रसं की धारा 437क के प्रावधान अनुसार 6 माह तक प्रभावशाली रहेंगे, उसके पश्चात् भारमुक्त समझे जायेगे।

39. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

40. प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गयी अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 के तहत् पृथक् से प्रमाण पत्र निर्मित कर अभिलेख पर संलग्न किया जाए।

41. निर्णय की एक प्रति धारा 365 द0प्र0सं0 के तहत विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर को प्रेषित किये जाने हेतु लोक अभियोजक के मेल आईडी पर प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्ेय)
अनन्यतः विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
अधिनियम, ग्वालियर (म0प्र0)

मेरे निर्देश पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्ेय)
अनन्यतः विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
अधिनियम, ग्वालियर (म0प्र0)

VANDANA RAJ PANDEY

Digitally signed by VANDANA RAJ PANDEY
Date: 2025.03.12 15:26:12 +0530